न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 52/2020

GCMS No- 2020/00198

मेसर्स जे.के. सीमेन्ट वर्क्स प्रोपराईटर जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड कमला टावर कानपुर जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर कजोड़मल जैन पिता श्री बजरंग लाल जी जैन निवासी कैलाश नगर, निम्बाहेडा

.... प्रार्थिया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा राज०
2 शान्ताबाई पत्नि शिवनारायण अहीर, निवासी निम्बाहेड़ा
3 वण्डर सीमेन्ट लि. मकराना रोड़ किशनगढ़ (राज.)

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 17.05.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये उसमे आराजी नं. 368/68 रकबा 1.0900 है. का उत्तरी भाग का रकबा 0.97 वण्डर सीमेन्ट के नाम रखा और शेष रकबा 369/68 का दक्षिणी भाग शान्तिबाई के नाम रखा परन्तु निर्णय में सहवन से 368/68 लिख दिया गया है जब कि 369/68 होना चाहिये। लिपिकिय भुल से निर्णय में यह नम्बर सहवन से गलत दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थना पत्र में एवं खातो की नकलो में भी 369/68 ही दर्ज है। इसलिये इस लिपिकिय भुल को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को जैसे ही इस लिपिकिय भुल की जानकारी हुई तुरन्त उन्होनें आवेदन पत्र पेश किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिये यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152,153 जा. दि. प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] में लिपिकिय भुल से निर्णय में आराजी न. [illegible]/68 नम्बर सहवन से [illegible] दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थना पत्र में एवं खातो की नकलो में भी आराजी न. 369/68 ही दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि **प्रकरण संख्या 114/2014 प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 में लिपिकीय भूल से निर्णय में ग्राम अहिरपुरा की आराजी न. 368/68 नम्बर निर्णय में सहवन से गलत दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी नकलो एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार, निम्बाहेड़ा में भी आराजी न. 369/68 ही दर्ज था। अतः न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 114/2014 में अंकित आराजी न. 368/68 के बजाय 369/68 रिकॉर्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested